न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 37/2016 (डूंगरपुर डिक्री)

कान्तिलाल पिता गौतम मनात, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. रमेश पिता दीता मनात, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
2. मीठालाल पिता पेमजी मनात, नि0 बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
3. श्रीमती कंकू पत्नी मीठालाल मनात, निवासी बालाडीट, तहसील डूंगरपुर
4. गौतम पिता मीठालाल मनात, नि0 बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर
5. दीता पिता पेमजी मनात, निवासी बालाडीट मृतक के बजाय :–

5/1.श्रीमती गंगा बेवा स्व0 दीता मीणा मनात, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/2.मगन पिता स्व0 दीता मीणा मनात, नि0 बालाडीट मृतक के बजाय :–

5/2/1.श्रीमती मंजुला बेवा मगनलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट

5/2/2.हरीश पिता मगनलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/2/3.सुश्री रक्षा पुत्री मगनलाल मनात मीणा, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/2/4.मोहनलाल पिता मगनलाल मनात मीणा, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/2/5.सुश्री सुनीता पुत्री मगनलाल मनात मीणा, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/2/2 से 5/2/5 तक नाबालिग सरंक्षक माता मंजुला बेवा मगनलाल मनात मीणा, निवासी बालाडीट, तहसील व जिला डूंगरपुर (राज.)

5/3.रमेश पिता दीता स्व0 दीता मीणा मनात, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/4.सुश्री हांजु पुत्री दीता स्व0 दीता मीणा मनात, निवासी बालाडीट

5/5.लक्ष्मण पिता दीता स्व0 दीता मीणा मनात, नि. बालाडीट, तह. डूंगरपुर

5/6.हांजा पिता दीता स्व0 दीता मीणा मनात, नि0 बालाडीट, तह0 डूंगरपुर

5/7.सुश्री सुनीता पुत्री दीता स्व0 दीता मीणा मनात, निवासी बालाडीट

6. तहसीलदार (भूमिधरी) डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, डूंगरपुर
दिनांक 19.10.2015 प्र. सं. 3/13

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)1. श्री ए. मंसूरी अभिभाशक अपीलान्ट
2. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट
3. राजकीय पैरोकार रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6

———:::———

निर्णय दिनांक

26—04—2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलान्ट द्वारा व प्रतिवादीगण/रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 188 एवं 92 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा थाणा की आराजी नंबर 4141/319/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि का वादी

खातेदार होकर स्वतंत्र मालिक है, जिस पर प्रतिवादीगण ने वादी की बिना जानकारी के अपने मकान का निर्माण कार्य चालू कर दिया है, जिसे तत्काल रूकवाया जाना आवश्यक है। अतएवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे वादी की भूमि पर अवैध मकान निर्माण स्वयं अथवा किसी अन्य से नहीं करावें।

प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 4 तनकियात कायम की जाकर उभयपक्षों को सुनने के बाद तनकीवार विवेचन करते हुए वादी का वाद खारिज कर दिया।

अधिनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2015 से रूष्ट होकर अपीलान्ट/वादी द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 03–10–2016 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वकील रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 दीता की मृत्यु होने की सूचना दी, जिस पर अपीलान्ट को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 5 की मृत्यु की जानकारी हुई। मृत व्यक्ति के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर दिये जाने से अपील विड्रो किये जाने का आवेदन हमारे वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसकी कोई जानकारी मुझे नहीं दी गयी। उक्त आवेदन आप न्यायालय द्वारा स्वीकार किया जाकर अपील विड्रो किये जाने की स्वीकृति दी गयी। दिनांक 22–07–2016 को अपील विड्रो की गयी, जिसकी सूचना अपीलान्ट को दिनांक 23–09–2016 को हुई। अपीलान्ट गरीब आदिवासी होकर कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जिसे कानून की जानकारी नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पर एवं न्यायहित में प्रकरण के गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुए मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से वकील श्री प्रवीण शुक्ला उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 6 की ओर से राजकीय पैरोकार उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा प्रमुख रूप से यह उजर लिया कि वादी/अपीलान्ट ने अपने वाद के समर्थन में मौखिक एवं दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत कर उसे साबित कराया है, जिस अधिनस्थ न्यायालय ने नजर अंदाज करने में भारी भूल की है। मौजा थाणा की बिलानाम आराजी नंबर 319 में से अपीलान्ट को 4141/319/1 रकबा 1 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटित की जाकर उसके खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। किसी भी खातेदारी भूमि पर पेनाल्टी जमा नहीं होती इसलिए रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत रसीदें अन्य खसरा नंबरों की होने से यह नहीं माना जा सकता कि विवादित आराजी पर अपोलान्ट का कब्जा नहीं हो। प्रतिवादी/रेस्पोन्डेन्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय को भ्रमित करने के लिए अन्यत्र स्थान के फोटोग्राफ व पेनाल्टी की रसीदें प्रस्तुत की है, जिनका किसी भी प्रकार से सत्यापन नहीं होने के बावजूद अधिनस्थ न्यायालय ने उनके आधार पर वाद खारिज कर दिया, जो त्रुटि पूर्ण है। अतएवं अपील स्वीकार की जाकर कथित निर्णय व डिक्री अपास्त की जावे एवं अपीलान्ट/वादी को स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय ने निर्णय व डिक्री को सही बताया तथा अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि दोनों ही पक्ष विवादित भूमि पर अपना कब्जा होने का कथन करते हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने मात्र बयानों के आधार पर निर्णय पारित किया है, जो विधि अनुकूल नहीं है। तद्नुसार

अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 19–10–2015 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित की जाती है कि प्रकरण में तहसीलदार स्वयं पक्षकारों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट तैयार कर अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करें। उक्त मौका रिपोर्ट में यह स्पष्ट करें कि किस आराजी पर किस पक्षकार का कब्जा है, तत्पश्चात् अधिनस्थ न्यायालय उक्त मौका रिपोर्ट के आधार पर पक्षकारों की साक्ष्य लेकर एवं सुनकर प्रकरण में विधि के आलोक में निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 28–06–2019 को उपस्थित रहें।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 26–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....भू॰प्र॰अ॰ एवं पदेन रा॰अ॰अ॰.....मुकाम..... उदयपुर.....

व इजलास ..... प्रियंका जोधावत, आर॰ए॰एस॰ ....

सुरेन्द्रसिंह पिता प्रेमसिंह राठौड़, नि0 बेमला, तह0 गिर्वा हाल मकान नं.37 नाकोड़ा नगर 11, धाऊजी की बाड़ी बेड़वास, तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर

बनाम

दलपतसिंह पिता मनोहरसिंह देवड़ा निवासी सिंगावतों का वाडा, देबारी तह0 गिर्वा, जिला उदयपुर व अन्य

अपील नं॰.....47 / 2018.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....उपखण्ड अधिकारी..... .....डूंगरपुर..... मुकाम.....मुवर्खे.....18.....माह.....07. 2016

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....13....माह.....03.....सन् 2019 रूबरू..... पक्षकारान

व हाजरी..श्री ओंकारलाल डांगी..मिनजानिब अपीलान्ट व..श्री महेन्द्र मेनारिया/राजमल राव

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत क लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 18–07–2016 यथावत रखी जाती है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....X.....).....रूपये .... X..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... X ..... अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....13.....माह.....03... .....2019 को जारी किया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा .. .. 4. वकील फीस बाबत .... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी .... 3. इजराय हुक्मनामा . .... 4. मेहनताना वकील..... ..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये
दिलाया गया हो।